न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 06/2016 (बांसवाड़ा आर्डर)

श्री गम्भीर सिंह पिता श्री पृथ्वीसिंह राजपूत निवासी आनन्दपुरी तहसील आनन्दपुरी जिला बांसवाड़ा (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री जयसिंह पिता श्री इन्द्रसिंह राजपूत निवासी आनन्दपुरी तहसील आनन्दपुरी जिला बांसवाड़ा (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार आनन्दपुरी जिला बंसावाड़ा

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व
अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला
कलक्टर बांसवाड़ा दिनांक 31–05–2016 प्रकरण
संख्या 02/2013

————/————

उपस्थित :– 1– श्री जितेन्द्र कुमार भट्ट अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1
3– राजकीय अधिवक्ता

आ दे श **दिनांक 20–02–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट विपक्षी संख्या–1 को आवंटित ग्राम आनन्दपुरी की आराजी नंबर 913 रकबा 0.1 हैक्टर जिसका साबिक आराजी नंबर 578 रकबा 10 बिस्वा था, का दिनांक 9–2–2008 को किये गये आवंटन को फ्रॉड एवं मिस–रिप्रजेन्टेशन से ग्रसित होकर नियम विरूद्ध आवंटन होना बताया। विवादित आराजी पर उसका कब्जा होना आवंटी का भूमिहीन नहीं होना, पटवारी द्वारा मौके की सही जांच नहीं करना, कोरम पुरा नहीं होना इत्यादि बताते हुए आवंटन खारिज किये जाने का निवेदन

किया। आवंटी द्वारा प्रत्येक बिन्दू पर खण्डन का जवाब दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 31–5–2016 को निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट प्रार्थी का आवेदन खारिज कर रेस्पोन्डेन्ट विपक्षी को किये गये आवंटन को बहाल रखा। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 31–5–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 3–8–2016 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 आवंटी की और से अधिवक्ता श्री यशपाल गुप्ता ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की, वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि विवादित भूमि नियम–4 (F) के अनुसार आवंटन योय नहीं थी। आवंटन मिली–भगत से किया गया है। उद्घोषणा जारी नहीं हुई। आवंटी भूमिहीन नहीं था।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि प्रथम दृष्टया अतिक्रमी होकर उसका कोई लोक स्टण्डाई नहीं है। प्रकरण में उद्घोषणा नहीं होने की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। भूमि नियम–4 (F) से ग्रसित हो, ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है। आवंटन बिना कोरम किया गया हो, ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है। आवंटी भूमिहीन के लिए वांछित 4 हैक्टर/15 एकड़ से ज्यादा भूमि रखता हो ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है। आवंटन में फ्रॉड या मिस–रिप्रजेन्टेशन होने बाबत भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को आवंटन निरस्तीकरण का आवेदन खारिज किये जाने में किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि किया जाना प्रकट नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 31–05–2016 को यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20–02–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर